


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर / खण्डवा / अपील / भूरा / 2017 / 4625

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-1-2018	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ अपर आयुक्त इंदौर संभाग के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-10-17 एवं कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-5-16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण पुजारी कार्य से संबंधित होकर कलेक्टर ने आवेदक का अभ्यावेदन निरस्त किया है । उक्त कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही होकर म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं है । अपर आयुक्त ने कलेक्टर की कार्यवाही की पुष्टि की है । अतः इस प्रकरण में अपील प्रथमदृष्टया ही ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>